

संचालक पिल्खा क्षीर उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित सिलफिली  
जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

क्रमांक...1०८.../डेयरी/2019-20

सूरजपुर, दिनांक 21.10.19

प्रेस विज्ञप्ति


सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पिल्खा क्षीर उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित सिलफिली, जिला सूरजपुर (छ0ग0) हेतु दुग्ध संकलन हेतु टाटा एस (छोटा हाथी) एवं दुग्ध वितरण कार्य हेतु पिकअप, 02 लॉडिंग वाहन की आवश्यकता है।

अतः इच्छुक वाहन मालिक, वाहन ठेकेदार निम्न शर्तों के अधिन अपना आवेदन दिनांक 15.11.2019 तक संचालक पिल्खा क्षीर उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित सिलफिली, जिला सूरजपुर (छ0ग0) में सायं 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में जमा कर सकते हैं।

शर्त :-

1. लॉडिंग वाहन अच्छी दशा की होनी चाहिए।
2. वाहन (पिकअप) की लॉडिंग क्षमता 1 टन एवं टाटा एस की क्षमता 7.20 क्विंटल होनी चाहिए। इस आशय का परिवहन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. वाहन का निर्माण/मॉडल पिकअप हेतु वर्ष 2016 के बाद तथा छोटा हाथी (टाटा एस) हेतु 2018 के बाद का होना चाहिए।
4. वाहन का समस्त कागजात, बीमा रजिस्ट्रेशन, लाईसेंस आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. वाहन की टूट फुट एवं मरम्मत की पूर्ण जवाबदारी वाहन मालिक की होगी।
6. वाहन पत्र के साथ वाहन का किराया प्रतिमाह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
7. पिकअप हेतु डीजल व्यय 12 कि०मी० प्रतिलिटर एवं छोटा हाथी टाटा एस हेतु 16 कि०मी० प्रतिलिटर से कम मान्य नहीं होगा।
8. लॉडिंग वाहन पिकअप (मैक्स, बोलेरो) तथा छोटा हाथी (टाटा एस, टाटा मेगा एक्सल) आदि होना चाहिए।
9. लॉडिंग वाहन की ट्राली, डाला छायादार हो, इसकी जवाबदारी वाहन मालिक की होगी।
10. वाहन को डेयरी डाक पर निर्धारित समय पर लगाना एवं दुग्ध संकलन, वितरण निर्धारित समय पर लाने की जवाबदारी वाहन मालिक की होगी। विलम्ब से वाहन आने से हुई दुग्ध हानी की वसूली देयक से की जावेगी।
11. वाहन हेतु सुरक्षा निधि ₹0 25000/- प्रति वाहन के मान से इस कार्यालय में जमा करना होगा, जो अन्त में वापिस की जा सकेगी।
12. वाहन पिल्खा क्षीर डेयरी प्लांट में प्रातः 3.30 दुग्ध परिवहन हेतु लगाना होगा तथा वाहन 24 घण्टे मय ड्राईवर के उपस्थित रखना होगा।

अधिक जानकारी हेतु डॉ० नृपेन्द्र सिंह, मो०न० 9826876936 एवं श्री जागेन्द्र सिंह, मो०न० 8602720127 से सम्पर्क कर सकते हैं।

  
संचालक

पिल्खा क्षीर उत्पादक सहकारी  
समिति मर्यादित सिलफिली  
जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

## किराये की वाहन हेतु आवेदन पत्र

- 1 वाहन मालिक एवं ठेकेदार का नाम - .....
- 2 स्थाई पता.....  
.....
- 3 वाहन मालिक का मोबाईल नम्बर.....
4. आधार नम्बर (परिचय पत्र).....  
(छायाप्रति संलग्न करें)
5. वाहन का प्रकार एवं मॉडल .....
6. वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर .....
7. वाहन की लॉडिंग क्षमता .....
8. डीजल खपत ..... कि०मी० प्रति लीटर
9. वाहन का मासिक किराया रू० .....
10. बंद लिफाफे के ऊपर वाहन का .....
- प्रकार पिकअप/टाटा एस (छोटा हाथी)  
उल्लेखित है या नहीं (हाँ/नहीं)
11. वाहन से संबंधित कागजात/दस्तावेज .....
- जो आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न करें।
  1. वाहन का रजिस्ट्रेशन।
  2. बीमा संबंधि कागजात।
  3. पर्यावरण संबंधि प्रमाण पत्र।
  4. लॉडिंग क्षमता संबंधि प्रमाण पत्र।
  5. वाहन चालक का ड्रायविंग लाइसेंस।

वाहन मालिक एवं ठेकेदार का हस्ताक्षर

एवं पता